राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 19(1)साप्र/2/15 जयपुर, दिनांक 29/6/2015

–: आदेश :–

निम्नांकित कर्मचारियों को 'एच' श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतदद्वारा आवंटित/परिवर्तित किए जाते हैं:–

क.सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि
1.	15/1997	श्री मनबहादुर थापा चौकीदार निदेशक, (बांध), आईडीआर, जल संसाधन विभाग, जयपुर	एच–874, गांधीनगर (एच–888, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.10.2020
2.	41/2001	श्री रामूचन्द्र शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा मसालची, एनसीसी समूह मुख्यालय, जयपुर	एच–565, गांधीनगर	31.1.2032
3	69/2001	श्री राजसिंह तंवर पुत्र श्री शिवराम सिंह तंवर सहायक कर्मचारी, राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर	एच–667, गांधीनगर	31.10.2036
4	2/2002	श्री बाबू लाल मीणा पुत्र श्री भौरीलाल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एच–914, गांधीनगर	31.3.2030
5	24/2006	श्री राजवीर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क–1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एच–554, गांधीनगर	31.1.2042

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (ख–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, (बांध) आईडीआर, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
7. ग्रुप कमाण्डर, एनसीसी समूह मुख्यालय, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
13. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
15. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

(मंजू भटनागर)
सहायक शासन सचिव

20